FAP

दूरभाष– 2286709
2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांकः 3803/33/76/एक/2014–15 दिनांकः 13 जनवरी 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
समस्त जनपद–उत्तर प्रदेश।

विषय–**शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग कार्य, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14/2014–15 में अभिकरण द्वारा अवमुक्त की गई धनराशियों में परियोजना की 10% रोकी गई धनराशियों को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत की गई धनराशियों पर अभिकरण मुख्यालय द्वारा परियोजना की 10% की धनराशि रोकते हुये शेष धनराशि परियोजनावार/शासनादेशानुसार जनपदों को अवमुक्त की गयीं हैं। कतिपय जनपदों द्वारा रोकी गयी प्रश्नगत धनराशि को अवमुक्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त कम में कृपया नगर विकास अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 114 एम (1)/नौ–7–14–64 (लखनऊ)/2014 दिनांक 21 मार्च 2014 एवं 114 एम/नौ–7–14–64 (लखनऊ)/2014 दिनांक 19 मार्च 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों/मलिन बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु मण्डल स्तर पर जांच समिति गठित की गई थी जिसके कम में सम्पादित कराये गये कार्यो की जांच आख्या अद्यतन अप्राप्त है।

आपसे अनुरोध है कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किश्त की धनराशि अभिकरण द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है उन परियोजनाओं की परियोजनावार जनपद पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण के स्तर से अथवा उक्त शासनादेश के कम में गठित टीम के द्वारा कार्यो का सत्यापन करा लिया गया है तो गठित टीम की सत्यापन रिपोर्ट, स्थल की बीडियोंग्राफी, सम्बन्धित नगर निकाय को परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण का प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को प्रथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा सके।

भवदीय,
12/01/2015
(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक